चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 03.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 03.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी चित्रकूट एवं थाना मानिकपुर की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 114/2025 धारा 309(5),324(4) बीएनएस0 लूट के प्रयास के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. आशीष द्विवेदी पुत्र राजेश द्विवेदी निवासी गोविन्द नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
2. नागेन्द्र पाल पुत्र राजाराम पाल निवासी पटेल नगर (रेलवे रनिंग रूम सुपरवाइजन) जननद चित्रकूट
3. विद्यासागर उर्फ मुक्कू पुत्र बच्चा सोनकर निवासी गांधीनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
4. सत्येन्द्र पाल पुत्र रामअवतार पाल निवासी पटेलनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
5. अमित कुमार पुत्र शिवमोहन कुमार यादव निवासी सोनपुर बिहार हाल पता रेलवे कॉलोनी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
6. हिमांशू मिश्रा पुत्र अखिलेश कुमार मिश्रा निवासी जवाहर नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

मारकुण्डी तिराहा की ओर झरी रेलवे फाटक थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट दिनांक 03.07.2025 समय 11.00 बजे दिन

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28/29.06.2025 की रात्रि में डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि झरी रेलवे फाटक के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति UP 70 MT 3248 पिकअप लोडर पर पत्थर मारकर लोडर को लूटने का प्रयास कर रहे है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट,अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा मौके पर घटना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पिकअप वाहन स्वामी वादी मनीष पासी पुत्र कंचन प्रसाद पासी निवासी बम्हरौली उपरहार थाना पूरामुफ्ति जनपद प्रयागराज ने तहरीर दिया कि दिनांक 28/29.06.2025 की रात्रि में पिकअप लोडर UP 70 MT 3248 को जो चाकल पंकज व खलासी सतना लेकर जा रहे थे कि झरी रेलवे फाटक के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा रास्ते में रोककर वाहन उपरोक्त को लूटने का प्रयास कर रहे थे, जिससे डरकर चालक राजकुमार पुत्र रामबरन निवासी केशवपुर थाना पूरामुफ्ति जनपद प्रयागराज व खलासी पंकज पुत्र रामचरन निवासी कादिपुर थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज जबलपुर भाग गये थे। इस सूचना पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 309(5),324(4) बीएनएस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ,एसओजी,थाना मानिकपुर एवं चौकी सरैया की कुल 04 टीमों को घटना का खुलासा हेतु लगाया गया था। इस दौरान वादी मुकदमा व चालक व खलासी से गहन पूंछताछ व सर्विलांस,सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की गयी जानकारी से लूट के प्रयास की घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। तत्पश्चात गहन छानबीन करते हुए व सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर व मुखविरों की सूचना पर पिकअप का पीछा करने वाले को चिन्हित कर 1.आशीष द्विवेदी पुत्र राजेश द्विवेदी उम्र 26 वर्ष निवासी गोविन्द नगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2.विद्या सागर उर्फ मुक्कू पुत्र बच्चा सोनकर उम्र 28 वर्ष निवासी गांधीनगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 3.अमित कुमार पुत्र शिवमोहन कुमार यादव उम्र 18 वर्ष निवासी जिला सोनपुर बिहार हाल पता रेलवे कालोनी मानिकपुर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4. सतेन्द्र पाल पुत्र रामऔतार पाल उम्र 24 वर्ष निवासी पटेल नगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 5. नागेन्द्र पाल पुत्र राजाराम पाल उम्र 23 वर्ष निवासी पटेल नगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 6.हिमांशू मिश्रा पुत्र अखिलेश कुमार मिश्रा उम्र 24 वर्ष निवासी जवाहर नगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया पूंछताछ में बताया गया कि आशीष द्विवेदी ने बताया कि अपनी मोटर साइकिल से पेट्रोप पम्प पर पेट्रोल डलाने अपने साथी सुधांशू के साथ जा रहा

था जैसे ही मो0सा0 मारकुण्डी तिराहे से सरैया की तरफ गयी इसी समय सरैया की तरफ से आ रही लोडर से मो0सा0 में टच कर गयी तब आशीष द्विवेदी ने अपनी मो0सा0 मोडकर पीछा किया और मारकुण्डी तिराहे पर मिठाई की दुकान पर बैठे उस के दोस्त नागेन्द्र पाल,मुक्कू,सत्येन्द्र,अमित,हिमांशू मिल गये सभी लोगो ने तीन मोटर साइकिलो से पिकअप रोकने के लिए उसका पीछा कर लिया । बगल में पहुंचकर पिकअप रोकने का प्रयास करने लगे कि आशीष को पिकअप से हल्का धक्का लग गया और वह गिर गया। दोस्तो ने उसे उठाकर फिर पीछा किया तबतक पिकअप चालक गाड़ी को झरी फाटक के पास जंगल की तरफ मोडकर भाग गये थे। अब तक की तमामी तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज व कैमरो की मदद से मु0अ0सं0 114/25 धारा 309(/5)/324(4) बीएनएस मे धारा 309(5) बीएनएस का लोप कर धारा 352 बीएनएस की बृद्धि की गयी । अब मु0अ0सं0 114/25 धारा 352/324(4) बीएनएस में होगी । प्रकाश में आये उपरोक्त आरोपीगणो सहित वादी,चालक व खलासी उपरोक्त का भी चालान अन्तर्गत धारा 170,135,126 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव
2.उ0नि0 श्री नीरज
3.उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद
4.कम्प्यूटर आपरेटर रोहित यादव
5.आरक्षी धीरेन्द्र किशोर
6.आरक्षी गजेन्द्र सिंह पायक

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त शिवकान्त पुत्र रामनरेश निवासी ठर्री चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ शिवआसरे द्वारा अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र सुशील मिश्रा निवासी ग्राम कोनिया थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(6).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2002 धारा 380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अरुण उर्फ पप्पू पुत्र गया बाबा कुर्मी निवासी जुमरहेली थाना बबेरू जनपद बांदा को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(1). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह द्वारा अभियुक्त 1. झल्लर उर्फ श्रीकांत पुत्र सुमंत 2.कल्लू उर्फ रमाकांत पुत्र सुमंत निवासीगण मंडोर थाना मऊ 3.रज्जन पासी पुत्र लल्लू उर्फ ललुवा निवासी सुरौधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(2). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे द्वारा अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र सुशील मिश्रा निवासी कोनिया थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(3). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह द्वारा अभियुक्त जगनिवास पुत्र गुरुवरन निवासी ओदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।